न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–83/2017/टोंक (2017/00098)

1. कैलाशी पुत्री मूल्या, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम अजीतपुरा, तह0 निवाई, जिला टोंक हाल पत्नि रामजीलाल शर्मा, जाति ब्राहम्ण, नि0 मनमोहनपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द,
2. सत्यनारायण पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द,
3. प्रभूनारायण पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द,
   जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम अजीतपुरा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
4. ग्राम पंचायत गुन्सी, पं0स0 निवाई, तह0 निवाई, जिला टोंक जरिये सरपंच ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक दिनांक 28.3.2017 अंतर्गत अपील संख्या 12/2013.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 12.4.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता मूल्या पुत्र लक्ष्मी नारायण की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात खाता संख्या 68, 71, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96 ग्राम अजीतपुरा, तह0 निवाई

जिला टोंक में अवस्थित है । मूल्या के वारिसान में बाबूलाल, सत्यनारायण व प्रभूनारायण पुत्रान मूल्या एवं अपीलांट कैलाशी पुत्री मूल्या है । खाता संख्या 95 के खसरा नंबर 8 रकबा 0–14–00 बाबत् मूल्या की विरासत का नामांतकरण संख्या 501 दिनांक 21.1.2012 उपरोक्त वर्णित चारों वारिसान के नाम तस्दीक किया गया एवं अधिकार अभिलेख में इंद्राज दर्ज किया गया लेकिन खाता संख्या 68, 71, 89, 90, 91, 92, 93 एवं 96 में मूल्या की विरासत मात्र रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 5.12.2003 को ग्राम पंचायत गुन्सी द्वारा दर्ज कर दी गई जबकि अपीलांट मूल्या की जायंदा पुत्री होकर उसका 1/4 हिस्सा है । अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 5.12.2003 को उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में चुनौती दी जाने पर उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 27.3.2017 द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात खाता संख्या 68, 71, 89, 90, 91, 92, 93, 96 ग्राम अजीतपुरा, तह0 निवाई जिला टोंक के खातेदार अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के पिता मूल्या थे तथा मूल्या के स्वर्गवास होने पर खाता संख्या 95 बाबत् विरासत का नामांतकरण संख्या 501 दिनांक 21.1.2012 को अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम तस्दीक किया गया किन्तु शेष खाता संख्या 68, 71, 89, 90, 91, 92, 93 एवं 96 की विरासत का नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 5.12.2003 को ग्राम पंचायत गुन्सी ने केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 मृतक खातेदार के पुत्रों के नाम तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध है । अपीलांट भी मृतक रेस्पो0 मूल्या की जायंदा पुत्री होकर 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है । ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 359 तस्दीक करते समय मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथाकथित नामांतकरण संख्या 359 तस्दीक किया है जो प्रारंभ से अवैध एवं प्रभाव शून्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया ने अपने निर्णय में यह अंकन करते हुए कि उनके समक्ष नियमित राजस्व वाद संख्या 100/2013 बउनवानी कैलाशी बनाम बाबूलाल वगैरह में दिनांक 26.8.2013 को राजीनामा पेश कर अपीलांट द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त करना अंकित करते हुए अपीलांट को कोई हिस्सा प्रदान नहीं किया जबकि उक्त वाद में राजीनामे के आधार पर आज्ञाप्ति जारी न होकर अपीलांट/वादिया द्वारा नोट प्रेस में निरस्त कराया गया है जिससे अपीलांट के वादग्रस्त

आराजियात में निहित विरासत से प्राप्त काश्तकारी स्वत्वों का कोई अवसान नहीं हुआ है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर अपीलांट की अपील अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के पिता मूल्या का स्वर्गवास होते ही हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित हो गया था, एवं मात्र राजस्व ऐजेन्सी द्वारा विरासती नामांतकरण संख्या 359 में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं करने से अपीलांट के काश्तकारी स्वत्वों का अवसान नहीं हो जाता है । अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजियात में निहित अपने हिस्से की आराजियात रहन, बैचान, मुंतकिल नहीं की गई है और ना ही दान पत्र अथवा हक त्याग ही निष्पादित किया गया है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपील अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 28.3.2017 एवं ग्राम पंचायत गुन्सी द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 5.12.2003 को अपास्त किया जावे तथा विवादित आराजियात बाबत् विरासत नामांतकरण अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद संख्या 100/2013 में अभिभाषक द्वारा अंकन किया गया था जिससे अभिभाषक द्वारा नामांतकरण की पृथक अपील प्रस्तुत नहीं करने की कानूनी सलाह प्रदान की गई थी लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया को बरगला कर मिथ्या करन कारित कर वाद पत्र को नोट प्रेस में निरस्त करावा दिया तत्पश्चात् वादिया के पति का निधन हो जाने से प्रार्थिया की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं रही । तत्पश्चात् प्रार्थिया के पुत्र ने समस्त दस्तावेजात देखकर अधिवक्ता से संपर्क किया जिन्होंने अवगत कराया कि अपील दिनांक 28.3.2017 को अपास्त कर दी गई । अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । तत्पश्चात् अपीलांट के पुत्र ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कर निर्णय की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन कर निर्णय की प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जावे।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित

में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली एवं अपीलांट के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के पिता मूल्या पुत्र लक्ष्मीनारायण थे । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट मृतक खातेदार मूल्या की पुत्री होने से उसका विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित है किन्तु ग्राम पंचायत गुन्सी ने विवादित आराजियात खाता संख्या 68, 71, 89, 90, 91, 92, 93 एवं 96 बाबत् विरासत नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 5.12.2003 केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम तस्दीक किया गया है जबकि अपीलांट भी मृतक खातेदार की पुत्री होने से उसका भी विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित था । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि खाता संख्या 95 के खसरा नंबर 8 रकबा 14 बिस्वा बाबत् मूल्या की विरासत का नामांतकरण संख्या 501 दिनांक 21.1.2012 अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम तस्दीक किया गया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट कैलाशी ने रेस्पो0 के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 100/2013 उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त वाद में अपीलांट कैलाशी ने दिनांक 26.8. 2013 को राजीनामा पेश किया तथा उक्त राजीनामा की मद संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि " वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है । वादिया ने अपने हिस्से की पैतृक कृषि आराजी, जो वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में से, उसके प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से प्राप्त कर ली है । अब वादिया का वादपत्र में वर्णित उसकी पैतृक सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी में से खसरा नंबर 8 वाके ग्राम अजीतपुरा में जरिये नामांतकरण संख्या 501 के वादिया के नाम का अंकन हुआ है, वादिया खसरा नंबर 8 में वर्णित अपने हिस्से की पैतृक कृषि आराजी का हक त्याग उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर अपने तीनों भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक में बहिस्सा बराबर करवा देगी " उक्त राजीनामा उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने दिनांक 26.8.2013 को स्वीकार किया है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामा के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित आराजियात में अपने निहित हिस्से की आराजी बाबत् प्रतिफल की राशि प्राप्त कर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग कर दिया है इसलिये अब पुनः उन्हीं आराजियात बाबत् अपने हिस्से हेतु चाराजोही किया गया जाना विधिसम्मत् नहीं है । अपीलांट राजस्व वाद संख्या 100/2013 में प्रस्तुत राजीनामा से बाधित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इसी तथ्य को

ध्यान में रखकर अपीलांट की अपील अपास्त की है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

7- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 83/2017 (2017/00098) बउनवानी कैलाशी बनाम बाबूलाल को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा अपील संख्या 12/2013 बउनवान कैलाशी बनाम ग्राम पंचायत गुन्सी में पारित निर्णय दिनांक 28.3.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 12.4.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर